राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(6)गृह–1/2020 जयपुर, दिनांक : 13.01.2022

<u>आदेश</u>

राजस्थान पुलिस सेवा की चयन वेतन श्रृखला की वर्ष 2020–21 की रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.01.2021 के समय श्री हिम्मत सिंह देवल, आरपीएस के विरूद्व दिनांक 10.04.2019 के द्वारा अन्तर्गत नियम 16 सीसीए में आरोप पत्र जारी होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा इनकी पदोन्नति अभिशंषा सील्ड कवर में रखी गई।

श्री हिम्मत सिंह देवल, आरपीएस के विरूद्व अन्तर्गत नियम 16 सीसीए की विभागीय जांच को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.12.2021 द्वारा समाप्त किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पुलिस सेवा की चयन वेतन श्रृंखला पद की वर्ष 2020–21 की दिनांक 21.01.2021 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री हिम्मत सिंह देवल, आरपीएस (सामान्य) को राजस्थान पुलिस सेवा की चयन वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 2020–21 में दिनांक 01.01.2021 की रिक्ति के प्रति एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री हिम्मत सिंह देवल, आरपीएस की वरिष्ठता सीमा कुमारी हिगोंनिया, (एससी) के नीचे एवं श्री गिरीराज प्रसाद/कल्लाराम, (एसटी) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री हिम्मत सिंह देवल, आरपीएस अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा श्री देवल का रिक्ति दिनांक 01.01.2021 से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

13.01.2022
(गुरू प्रसाद शर्मा)
सहायक शासन सचिव, पुलिस